रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 1987/चैत्र 3, 1909
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 1987/CHAITRA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 163-आई टी सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1987

विषय:—अप्रैल 1985-मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति

फा. सं. आईपी ओ/4/5(392)/85-88:—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आई टी सी (पी एन)/85-88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अंतर्गत

प्रकाशित अप्रैल 1985-मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्विष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :

क्रम सं.	आयात निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	अध्याय-5 वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा कच्चे माल संघटकों और उपभोज्य वस्तुओं का आयात पैराग्राफ 84(1)	प्रथम वाक्य के निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:— "वे वास्तविक उपयोक्ता जिन्होंने पिछले दो वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष में जहाज पर निःशुल्क मूल्य 10 लाख रु. की न्यूनतम शर्त के अधीन चुनिन्दा उत्पाद (देखिए-परिशिष्ट-16) के अपने उत्पादन का कम से कम 25% निर्यात कर दिया हो और पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के लिए पूरक लाइसेंसों को प्राप्त किए हों उन्हें लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उसी लाइसेंस उसी मूल्य और उसी मद की पुनः अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसमें पुनरावृत्त मूल्य के उपयोग के लिए उपलब्ध, पोतलदान की 18 मास की अतिरिक्त अवधि वाली, परिशिष्ट-2 की मदें शामिल नहीं हैं।"

3. उपर्युक्त संशोधन आयात-निर्यात नीति में लोकहित में किया गया है।

हस्ताक्षरित

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक,
आयात निर्यात

मंजुला सुब्राह्मणियम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक,
आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 163-ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 24th March, 1987

Subject : Import and Export Policy for April 1985—March 1988.

F.No. IPC/4/5(392)/85-88:—Attention is invited to the Import and Expert Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendment shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1985-88 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	26	Chapter V Import of Raw Materials, Components and Consumables by actual users Paragraph 84(1)	The first sentence shal be substituted by the following:— "Actual Users (Industrial) who exported at least 25% of their products (vide Appendix 16) in any of the two previous financial years subject to a minimum of Rs. 10.00

1	2	3	4
			lakhs in f.o.b. value and who obtained supplemetary licence for the preceding licensing year will be allowed during the licensing year a repeat operation of the same licence, for the same value and the same items excluding items appearing in Appendix 2 with an additional period of shipment of 18 months available for utilisation of repeat value."

3. The above amendment in the Import & Export Policy has been made in the public interest.

Sd/-

R.L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports
MANJULA SUBRAMANIAM, Jt. Chief Controller of Imp. & Exp.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987